सूचनाएँ चस्पा करने की चेकलिस्ट और समय सारणी

रिटर्निंग अधिकारी, बालोतरा ज़िला: पंच, सरपंच और उप-सरपंच का चुनाव, तीसरा और चौथा चरण

सुझाई गई मॉडल कार्यालय शीट; आयोग का निर्धारित प्ररूप नहीं।

राज्य निर्वाचन आयोग का दस्तावेज़ नहीं · स्वतंत्र, अनौपचारिक संकलन · आयोग के मूल आदेश और मार्गदर्शिका ही अंतिम · संकलन और ताज़ा फ़ाइल: **mockpoll.com**

चुनाव कार्यक्रम की तय तारीख़ पर लगनी है: ज़िला निर्वाचन अधिकारी की लोक सूचना (नियम 23 सपठित नियम 56), तीसरा चरण 19.10.2026, चौथा चरण 31.10.2026; पंचायत के सूचना पट्ट पर, और पंचायत के हर वार्ड में एक सहज दृश्य जगह पर (आयोग का आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/6251, दिनांक 26.12.2019, बिन्दु 6)। ग्राम पंचायत पहुँचते ही देख लीजिए कि लगी है (सुझाव)।

क्र.	सूचना	कहाँ लगाएँ	तीसरा चरण	चौथा चरण	समय	आधार	लगाया: समय और हस्ताक्षर
1	मतदान केन्द्र किन भवनों में हैं: नियम 30(3) की सूचना (रिटर्निंग अधिकारी बनाकर प्रकाशित करेंगे), और उसके छपे लेबल	पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर; पंचायत कार्यालय न हो, तो मतदान केन्द्र के भवन पर। छपे लेबल: पंचायत कार्यालय की जगह या मतदान केन्द्र पर चिपकाइए। छपा नोटिस (परिशिष्ट-33) सामग्री में आता है: हर मतदान बूथ के लिए 1, और पंचायत कार्यालय पर लगाने को 1 अतिरिक्त।	मतदान से कुछ दिन पहले	मतदान से कुछ दिन पहले	छपे लेबल: ग्राम पंचायत पहुँचते ही	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 3, बिन्दु 7; पृष्ठ 7, अध्याय-3, बिन्दु 4, 4(i); परिशिष्ट-7, क्र. 9 (पृष्ठ 93); परिशिष्ट-33 (पृष्ठ 139)	
2	उपाबन्ध-I-B (परिशिष्ट 6-D), सिर्फ़ सरपंच पद के अभ्यर्थियों का; सबकी जानकारी के लिए	नोटिस बोर्ड पर एक प्रति।	04.11.2026 बुधवार	15.11.2026 रविवार	नाम निर्देशन पत्र के साथ मिलते ही (सुझाव)	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 33, बिन्दु 7	
3	नाम वापसी की हर सूचना	एक प्रति पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर; पंचायत कार्यालय न हो, तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किसी प्रमुख जगह।	04.11.2026 बुधवार	15.11.2026 रविवार	सूचना मिलते ही, जितनी जल्दी हो सके (नाम वापसी दोपहर 2:00 बजे तक)	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 36, बिन्दु 13(v); नियम 28(4); कार्यक्रम 9836	
4	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, प्ररूप-5: सरपंच की, और हर वार्ड के पंच की अलग; नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम में, और प्रतीक भी उसी क्रम में	वार्ड में किसी सहज दृश्य जगह पर: सरपंच की सूची हर वार्ड में 1, पंच की सूची उसी वार्ड में 1; पंचायत कार्यालय पर 1; हर अभ्यर्थी को 1। पूरी पंचायत में सब निर्विरोध चुने जाएँ, तो सिर्फ़ 2 प्रतियाँ: एक पंचायत कार्यालय पर, दूसरी ऑफ़िस कॉपी लिफ़ाफ़े में बंद।	04.11.2026 बुधवार	15.11.2026 रविवार	दोपहर 2:00 बजे के तुरंत बाद	मार्गदर्शिका, पृष्ठ 36, बिन्दु 15; पृष्ठ 37, बिन्दु 16; नियम 29(3); कार्यक्रम 9836; आदेश 9809	
5	उप-सरपंच की बैठक का नोटिस (परिशिष्ट-29; छपे फ़ॉर्म ज़िला निर्वाचन अधिकारी से), बैठक का समय (सुबह 10:00 बजे) और स्थान लिखकर	हर चुने हुए पंच और सरपंच को, चाहे वे मौजूद हों या नहीं: ख़ुद तामील कीजिए; न मिलें, तो उनके घर पर चिपकाइए। और पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर; पंचायत कार्यालय न हो या बैठक कहीं और हो, तो किसी सहज दृश्य जगह पर। जो सरपंच और पंच वहाँ मौजूद हों, उन्हें बता भी दीजिए।	06.11.2026 शुक्रवार	17.11.2026 मंगलवार	सुबह 9:00 बजे से पहले (पत्र 20.10.2026); नियम: मतदान से कम से कम 2 घंटे पहले	पत्र 20.10.2026; मार्गदर्शिका, पृष्ठ 42, अध्याय-7, बिन्दु 4; नियम 65(2)	

- परिणाम (प्ररूप-7, परिशिष्ट-10): हस्ताक्षर की हुई प्रति इन पाँच जगह भेजिए: आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर; ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत); नव-निर्वाचित सरपंच; पंचायत कार्यालय (यदि कोई हो); पंचायत समिति कार्यालय (मार्गदर्शिका, पृष्ठ 39, बिन्दु 19)।
- तारीख़ें: तीसरा चरण आयोग के पत्र क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/10090, दिनांक 06.10.2026 से; चौथा चरण कार्यक्रम 9836 से; उप-सरपंच पत्र 20.10.2026 से। कार्यक्रम 9836 = आयोग का चुनाव कार्यक्रम, क्रमांक एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9836-44, दिनांक 03.10.2026। पत्र 20.10.2026 = आयोग का पत्र क्रमांक एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/स्पे. 1, दिनांक 20.10.2026। नियम = राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994। मार्गदर्शिका = मतपेटी वाली मार्गदर्शिका (पृष्ठ = छपा पृष्ठ नंबर)।